



BP 576986

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



CERTIFICATE

In pursuance of the order of the Collector No. 07 dated 02-04-13 passed under Section - 10-A at the stamp act is certified that an amount of Rs.15,00,000/- (Fifteen Lacs only) has been paid by Saras Infra Buildcon Pvt. Ltd. Office at Near Darpan Advertisers, Opp. Kabir Mandir, Sitapur Road, Lucknow in cash as stamp duty in respect of this instrument in the State Bank of India, Lucknow by Challan No.G 070049 dated 03.06.2013 a copy of which is annexed herewith.

Dated :- 04-06-13

Chief Treasury Officer,
Lucknow

मुख्य कोषाधिकारी
आदर्श कोषागार
फ्लेक्स्ट्रेट, लखनऊ

पट्टमना - लखनऊ
मालियत - 2,14,15,500/-

विश्वनाथ

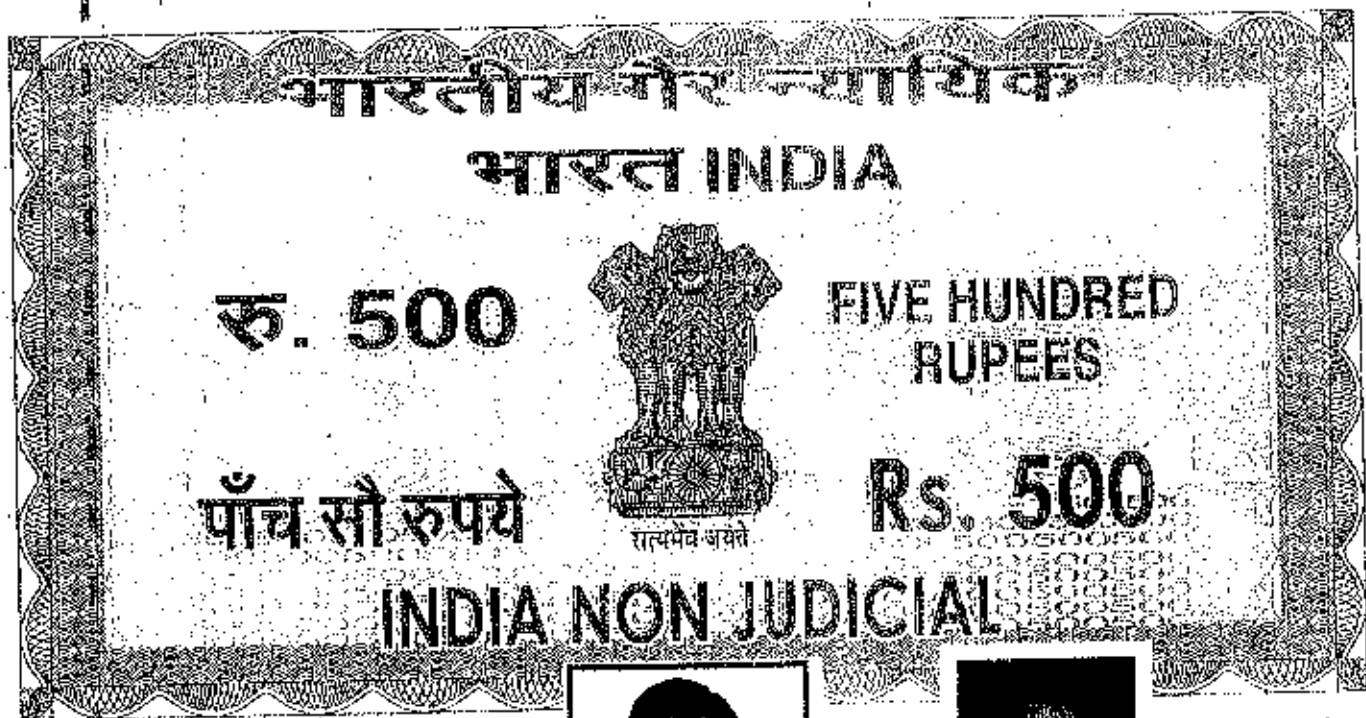
A. B. Sin

S. Gan

Sarav Sin

04/06/13

24/23



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



T 405981

लेखपत्र का संक्षिप्त विवरण

- | | | |
|----------------------|---|-----------------|
| 1. भूमि का प्रकार | - | आवासीय |
| 2. वार्ड/परगना | - | लखनऊ |
| 3. मोहल्ला/ग्राम | - | अनौरा |
| 4. सम्पत्ति का विवरण | - | खसरा संख्या-330 |
| 5. मापन की इकाई | - | वर्गमीटर |

शिशुपाल सिंह
A. Singh
S. G. M.

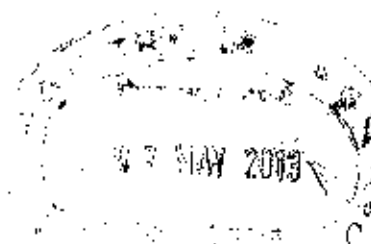
[Handwritten signature]
S. G. M.



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BP 576987

(3)



6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल - 6370 वर्गमीटर जोकि ससरा संख्या-330 का अविभाजित भाग है।
8. अन्य विवरण (कार्नेर इत्यादि) - नहीं
9. सड़क की स्थिति - फैजाबाद रोड से 100 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित
9. सम्पत्ति का प्रकार - आवासीय भूखण्ड

शिक्षण निदेश

[Signature]

[Signature]
S. 20

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड - 5, भाग 2

प्रपत्र संख्या - 43 ए (1)

(प्रस्तर 417 एवं 478 देखिए)

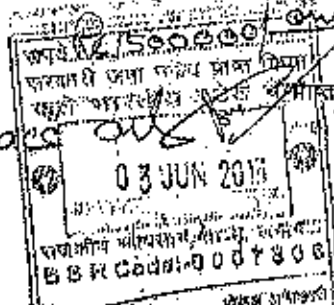
धनराशि जमा करने का बालान फॉर्म

- उपकोषागार / बैंक का नाम व राखा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया - जी० बी० जी०
1. जिस व्यक्ति (पदनाम कद आवश्यक हो) या संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम सरस रंजन बिन्दुमान प्रहारा
2. पता निवाह दुधिया राउतवारी जमीन अफीर मन्दिर के सामने सीतापुर रोड लखनऊ
3. गंजीकरण संख्या / पक्ष का नाम वार संख्या (यदि आवश्यक हो)
4. जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण (धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है) जनरल स्वायत्त हेतु
5. धातान की सकल राशि 15,00,000/-
6. धातान की निधन राशि 15,00,000/-
7. लेखा शीर्षक का पूर्ण विवरण/लेखा शीर्षक की मुहर : 02-मालिकार 102-राखी की मुहर 1002-(SAB)-
8. लेखा - शीर्षक की 13 डिजिट कोड
- | पुस्तक लेखा-शीर्षक | उप पुस्तक-शीर्षक | तृतीय-शीर्षक | उप-शीर्षक | व्योप-शीर्षक | व्योप-शीर्षक | व्योप-शीर्षक |
|--------------------|------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 0030 | 02 | 102 | 02 | 04 | 15,00,000 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
- धनराशि (शब्दों में) पन्ध्र लाख मात्र को 15,00,000
- बालान में लेखा-शीर्षक की पुष्टि करने वाले विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर जमकाता का नाम व हस्ताक्षर

केवल उपकोषागार/बैंक के प्रयोगार्थ

बालान संख्या 070049 अंकों में रु०

दिनांक राशियों में रु०



माप्त किया
जमकाता के हस्ताक्षर उपकोषागार/
बैंक की मुहर सहित

Fifteen Lacs



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BP 576988

(4)

निर्माण अनुबन्ध पत्र

यह निर्माण अनुबन्ध विलेख (1) शिशु पाल सिंह पुत्र श्री नथई सिंह (2) आनन्द पाल सिंह पुत्र श्री नथई सिंह (3) गिरजेश कुमार सिंह पुत्र श्री कृष्ण पाल सिंह (4) सर्वेश कुमार सिंह पुत्र श्री कृष्ण पाल सिंह निवासीगण-ग्राम-पपनामऊ, परगना, तहसील व जिला-लखनऊ जिन्हें इस विलेख में आगे प्रथमपक्ष/भूस्वामी कहा गया है।

शिशु पाल सिंह
A. B. Singh

[Signature]
S. 9. 2013
S. 9. 2013



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BP 576989

(5)

एवम्

सरस इन्फ्रा बिल्ड कॉन प्रा० लि० कार्यालय-निकट
दर्पण एडवर्टाइजर, कबीर मन्दिर के सामने, सीतापुर रोड,
लखनऊ द्वारा निदेशक/अधिकृत हस्ताक्षरी श्री शरद गौड़
पुत्र श्री रवीन्द्र नाथ गौड़ निवासी-466/41, सी-3, पीर
बुखारा, हरदोई रोड, चौक, लखनऊ जिसे इस विलेख में
आगे डेवलपर/द्वितीयपक्ष कहा गया है के मध्य निष्पादित हुआ है।

श्री २५ पावलि मिट्टे
A. B. S.

[Signature]
Shardha S. S.



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BP 576990

(6)

जोकि भूस्वामी/प्रथमपक्ष आराजी खसरा नम्बर-330
स्थित-ग्राम-अनीरा, परगना, तहसील व जिला-लखनऊ
के सहस्त्रातेदार, मालिक, कामिल व काबिज है। उक्त आराजी
प्रथमपक्ष की पैतृक सम्पत्ति है जो राजस्व अभिलेखों में प्रथमपक्ष
के नाम बखूबी दर्ज है। उपरोक्त आराजी यू0पी0 जेड0ए0
एल0आर0 एक्ट की धारा 143 के अन्तर्गत वाद संख्या-
180/08-09 कृष्ण पाल सिंह बनाम उ0प्र0 सरकार, न्यायालय

मिश्रपाल मिश्र

A. B. Singh

S. Singh

Sarun Singh

श्रीमान उपजिलाधिकारी/सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी, सदर के निर्णय दिनांक-12/05/2009 के द्वारा कृषि प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन की भूमि घोषित की जा चुकी है।

उपरोक्त आराजी प्रथमपक्ष के पूर्ण स्वामित्व एवं आधिपत्य में मौजूद है तथा हर प्रकार के भारों एवं विवादों जैसे रेहन, बय, हिबा, जमानत, मुकदमा, कुर्फी, आदि से पूर्णतया बरी व پاک-साफ है तथा जिसको समस्त प्रकार से हस्तांतरित आदि करने का प्रथमपक्ष को कानूनी व मालिकाना अधिकार प्राप्त है।

जोकि उपरोक्त आराजी के अविभाजित क्षेत्रफल-6370 वर्गमीटर पर भूस्वामी/प्रथमपक्ष सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र के अनुसार पांच ब्लॉकों में बहुमंजिला इमारत का निर्माण कराना चाहते हैं किन्तु प्रथमपक्ष अपने अन्य कारणों व व्यवस्तता के कारण व समयाभाव व धनाभाव व निर्माण कार्य के अनुभव की कमी की वजह से उक्त कार्य कराने में असमर्थ है। जोकि द्वितीयपक्ष एक अनुभवी डेवलपर्स हैं जिन्हें निर्माण कार्य का अच्छा अनुभव प्राप्त है और प्रथमपक्ष के विश्वासपात्र व्यक्ति भी हैं। जो उपरोक्त भूखण्ड पर प्रथमपक्ष की इच्छानुसार बहुमंजिला इमारत का निर्माण कराने में सक्षम हैं। प्रथमपक्ष को द्वितीयपक्ष पर इस बात का पूर्णरूप से विश्वास व भरोसा है।

अतः उभयपक्ष उपरोक्त आराजी पर बहुमंजिला इमारत का निर्माण कार्य करवाने हेतु निम्न शर्तों के पाबन्द होते हैं ताकि भविष्य में कोई वाद-विवाद दोनों पक्षों में पैदा न हो और आराजी पर निर्माण कार्य पूर्ण रूप से सम्पन्न हो सके।

12/05/2009 दि.
Ho

S. Gan

अतः उभयपक्ष निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाबन्द होते हैं :-

1. यह कि उपरोक्त आराजी पर इस निर्माण अनुबन्ध विलेख के पंजीकृत होने के उपरान्त निर्माण से सम्बन्धित सम्पूर्ण भवन का मानचित्र एवं निर्माण अनुमति सक्षम विभाग से स्वीकृति कराने हेतु सम्बन्धित कागजातों पर प्रथमपक्ष द्वारा बिना किसी हीला हवाली के अपने हस्ताक्षर कर दिये जायेंगे। भवन निर्माण से सम्बन्धित लेआउट प्लान स्वीकृत कराने हेतु सक्षम विभाग/सक्षम अधिकारी में जो भी शुल्क देय होगा उन समस्त देयों को अदा करने की जिम्मेदारी द्वितीयपक्ष की ही होगी। मानचित्र स्वीकृत कराये जाने में प्रथमपक्ष द्वारा अपना पूर्ण समय व सहयोग दिया जायेगा।
2. यह कि द्वितीयपक्ष अपनी प्रतिभूति पर अपनी सुविधानुसार किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था से ऋण प्राप्त कर सकते हैं जिसमें प्रथमपक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी। किन्तु द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष की उक्त भूमि बन्धक आदि रखने का अधिकार नहीं होगा। उक्त भूमि पर द्वितीय पक्ष किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता किसी बैंक आदि से नहीं लेगा।
3. यह कि उपरोक्त आराजी पर द्वितीयपक्ष द्वारा सक्षम विभाग/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत किये गये मानचित्र के अनुसार निर्माण कार्य कराया जायेगा।

शिशुमणि सिंह
A. B. S.

S. G. S.
S. G. S.

4. यह कि द्वितीयपक्ष मानचित्र स्वीकृत हो जाने के पश्चात 48 माह के अन्दर समस्त निर्माण कार्य पूर्ण करने के उपरान्त प्रथमपक्ष के भाग में आये निर्मित भाग का कब्जा द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को उक्त समय के अन्दर दे दिया जायेगा।
5. यह कि किसी दैवीय आपदा के कारण समयावधि बढ़ाने की आवश्यकता होती है तो उभय पक्ष आपसी सहमति से उक्त अवधि बढ़ा सकते है।
6. यह कि उक्त आराजी के स्वामित्व सम्बन्धी समस्त स्वत्व सम्बन्धी कागजों, दस्तावेजों को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी प्रथमपक्ष की होगी।
7. यह कि द्वितीयपक्ष उक्त प्रस्तावित बहुमंजिला इमारत में निर्माण के समय जो भी सामग्री का प्रयोग करेगा वह उच्च श्रेणी का ही प्रयोग करेगा व बहुमंजिला इमारत का निर्माण करने में निम्नलिखित कार्य भी सम्मिलित हैं :-
 - क. समस्त निर्माण कार्य आर.सी.सी. व आर.बी. स्ट्रक्चर।
 - ख. प्लास्टर, फर्श, प्लैण्ट आदि का कार्य बिल्डिंग के बाहर व अन्दर।
 - ग. दरवाजे, खिड़की व उसकी पॉलिश।
 - घ. सभी बिजली की वायरिंग व फ्यूज डिब्बे।
 - ड. सभी बाथरूम के कार्य।

शिशुपाल सिंह

A. B. S.

S. Gen
S. Gen

- घ. सम्पूर्ण बहुमंजिला इमारत में पानी की व्यवस्था।
- छ. सीढ़ियां, ममटी व लिफ्ट का कार्य।
8. यह कि द्वितीयपक्ष द्वारा बहुमंजिला इमारत के निर्माण के दौरान लीफेज, सीवेज एवं ड्रेनेज का विशेष ध्यान रखा जायेगा जिसमें भविष्य में कोई समस्या उत्पन्न न हो।
9. यह कि भवन निर्माण के समय नींव, पिलर व बीम आदि की मोटाई बहुमंजिला इमारत के भार के अनुसार सक्षम अर्किटेक्ट से द्वितीयपक्ष द्वारा स्वीकृत कराकर निर्मित करायी जायेगी।
10. यह कि प्रथम ब्लॉक का भूतल भाग भूस्वामी का होगा। उसको निर्मित कराये जाने पर आये हुए समस्त व्यय का भुगतान प्रथमपक्ष द्वारा द्वितीयपक्ष को दिया जायेगा।
11. यह कि मानचित्र के हिस्से से प्लैटों का विभाजन होगा जिसके हिस्से में जो प्लैट आयेगा उसको व पक्ष बेचने का हकदार होगा।
12. यह कि द्वितीयपक्ष द्वारा उक्त बहुमंजिला आवासीय इमारत का निर्माण उच्च मानक नियमों के अनुरूप किया जायेगा निम्न स्तर की सामग्री का उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा एवं इमारत में अन्य आवश्यक सामान्य सुविधाएं जैसे जीना व पार्किंग आदि का निर्माण किया जायेगा।

प्रमुख अधिकारी
A. B.

S. G. A.
S. G. A.

का अधिकार होगा तथा जहां कहीं भी प्रथमपक्ष के हस्ताक्षरों की आवश्यकता होगी वहां प्रथमपक्ष बिना हीला हवाली के अपने हस्ताक्षर कर देगा।

21. यह कि उपरोक्त आराजी के सम्बन्ध में यदि किसी प्रकार की कोई पूर्ण की देनदारी निकलती है तो उसकी अदायगी की जिम्मेदारी प्रथमपक्ष की होगी।
22. यह कि इस निर्माण अनुबन्ध विलेख में आवश्यकता पड़ने पर किसी अन्य विलेख को निष्पादित करने की आवश्यकता होती है तो उसका निष्पादन दोनों पक्षों द्वारा बिना किसी हीला हवाली के कर दिया जायेगा। जोकि इस निर्माण अनुबन्ध विलेख का आवश्यक अंग होगा।
23. यह कि उपरोक्त आराजी पर निर्माण कार्य के समय किसी भी व्यक्ति को जान व माल का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई की समस्त जिम्मेदारी द्वितीयपक्ष की होगी उसमें प्रथमपक्ष का कोई वास्ता व सरोकार नहीं होगा।
24. यह कि इस निर्माण अनुबन्ध विलेख की समस्त शर्तें उभयपक्षों के वारिसानों एवं अधिकृत विधिक प्रतिनिधियों व उत्तराधिकारियों पर भी यथावत प्रभावी होंगी।
25. यह कि द्वितीयपक्ष द्वारा प्रथमपक्ष को 1,00,00,000/- रुपया बतौर जमानत धनराशि के रूप में दिया जा रहा

विशुपाल सिंह
AP 3


Sanjay Kumar

17. यह कि उभयपक्ष के मध्य किसी प्रकार का कोई मतभेद या विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसी स्थिति में उभयपक्ष आपस में बैठकर मतभेद को आपसी व्यक्तियों के समक्ष तय कर लेंगे किसी विधिक अड़चन के उत्पन्न होने की स्थिति में दोनों पक्षों द्वारा उसका निस्तारण कराया जायेगा और उसके निस्तारण के पश्चात ही निर्माण कार्य पूर्ण किया जायेगा।
18. यह कि प्रस्तावित निर्माण में प्रथम दृष्टया उभयपक्षों की सहमति से तैयार किये गये मानचित्र में बाद में किसी प्रकार का परिवर्तन या दखल देने का अधिकार किसी पक्ष को नहीं होगा।
19. यह कि उपरोक्त आराजी पर निर्माण कार्य के दौरान यदि किसी अन्य शख्स या अन्य व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार का कोई विधिक अवरोध पैदा किया जाता है या न्यायालय के हस्तक्षेप से निर्माण कार्य बाधित होता है तो उसके निपटारे की पैरवी उभयपक्ष मिलकर करेंगे और उसके निस्तारण के पश्चात ही निर्माण कार्य पूर्ण किया जायेगा।
20. यह कि प्रथमपक्ष के द्वारा द्वितीयपक्ष को यह अधिकार भी प्रदान किया जाता है कि द्वितीयपक्ष को उपरोक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में हर प्रकार के दावे प्रति दावे शपथ-पत्र अपील निगरानी पुर्ननिरीक्षण याचिका आदि योजित करने

शिक्षपाल सिंह

A. B. S.

Santhi Sankar

S. S.

विक्रय अनुबंध विलेख

21,415,500.00

10,000.00

20 10,020.00

1,000

प्रतिफल
श्री
पुत्र श्री

मलियत
शिशु माल सिंह
नथई सिंह

अग्रिम धनराशि

फौर रजिस्ट्री

नकल ६ प्रति शुल्क

योग

शब्द लगभग

शिशु मलियत



व्यवसाय व्यापार

निवासी (व्यापारी) ग्राम पपनामऊ पर0तह0व जिला लखनऊ
अस्थाई पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 5/6/2013 समय 2:01PM

यहाँ निबन्धन हेतु पेश किया।

शिशु मलियत

रजिस्ट्रार अधिकारी के हस्ताक्षर

एच0के0 पाण्डेय
उप-निबन्धक (द्वितीय)

लखनऊ

5/6/2013

निष्पादन लेखपत्र बाद सुनने व समझने मजबूत व प्राप्ता धनराशि रु. पलेखानागार उभत

विक्रेता

क्रेता

श्री शिशु माल सिंह
पुत्र श्री नथई सिंह
पेशा व्यापार
निवासी ग्राम पपनामऊ पर0तह0व जिला लखनऊ

शिशु मलियत



शरत हनुमा बिल्ड कॉंग प्रा0लि0एरा निवे/अधि.
इस्ता, शरद गौड पुत्र रवीन्द्र नाथ गौड
पेशा व्यापार
निवासी 466/41सी-3 पीर बुखारा हरदोई रोड चौक
लखनऊ

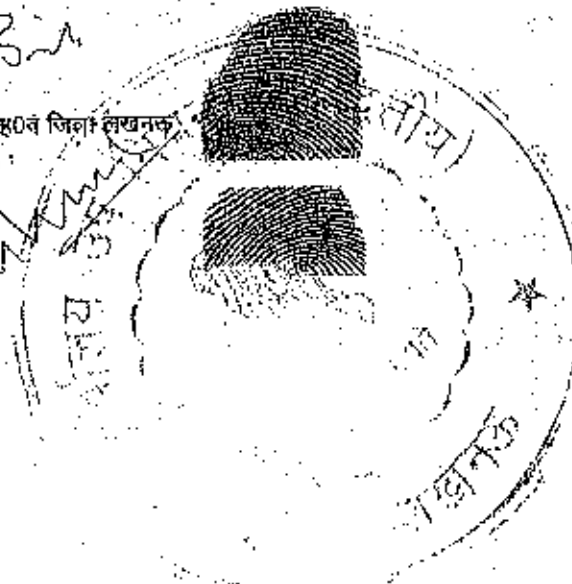


श्री आनन्द पाल सिंह
पुत्र श्री नथई सिंह
पेशा सेवानिवृत्त
निवासी ग्राम पपनामऊ पर0तह0व जिला लखनऊ

शिशु मलियत

श्री विरजेश कुमार सिंह
पुत्र श्री कृष्ण माल सिंह

शिशु मलियत



13. यह कि उपरोक्त आराजी पर बहुमंजिला इमारत का निर्माण कराने में जो भी लागत आयेगी वह द्वितीयपक्ष द्वारा खर्च की जायेगी। निर्माण लागत किसी भी प्रकार से प्रथमपक्ष द्वारा वहन नहीं की जायेगी।
14. यह कि इस निर्माण अनुबंध के माध्यम से उपरोक्त आराजी का भौतिक कब्जा प्रथमपक्ष द्वारा द्वितीयपक्ष को प्रदान किया जा रहा है।
15. यह कि प्रस्तावित बहुमंजिला इमारत में स्वीकृत मानचित्र के अनुसार प्रथम ब्लॉक के भूतल भाग को छोड़कर शेष सम्पूर्ण निर्मित भाग में प्रथम पक्ष का 40 प्रतिशत भाग होगा व द्वितीय पक्ष का 60 प्रतिशत भाग होगा। दोनों पक्षों को अपने-अपने हिस्से में आई सम्पत्ति को विक्रय बंधक, दान आदि करने का पूर्ण अधिकार होगा, किसी भी पक्ष को इमारत में निर्मित कॉमन जगह को विक्रय करने का अधिकार नहीं होगा, उक्त विभाजन सम्पूर्ण इमारत के प्रत्येक तल के हिसाब से किया जायेगा।
16. यह कि प्रस्तावित बहुमंजिला इमारत में 40 व 60 प्रतिशत का बंटवारा फ्लैट नम्बर देते हुये आपसी सहमति से कर दिया जायेगा, जोकि सभी तलों पर समान रूप से लागू होगा। छत पर भी प्रथम पक्ष का अधिकार 40 प्रतिशत व द्वितीय पक्ष का अधिकार 60 प्रतिशत होगा। उक्त बंटवारा रुपये में न होकर फ्लैटों/सम्पत्ति में होगा।

शिशुमणि
P. S.

[Signature]
S. Gan

ने निष्पादन स्वीकार किया।

जिनकी पहचान श्री एच०के० श्रीवास्तव एडवोकेट

हाई कोर्ट लखनऊ

पेशा

निवासी

व. श्री

सत्य प्रकाश सिंह

पुत्र श्री

चन्द्र मान सिंह

पेशा

व्यापार

निवासी

ग्राम परनामऊ पर०तह० जिला लखनऊ

ने को।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशाच अंगुलि नियमानुसार लिये गये हैं।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एच०के० पाण्डेय

उप-निबन्धक (द्वितीय)

लखनऊ

5/8/2013



है जिसका समायोजन निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त प्रथमपक्ष द्वारा द्वितीयपक्ष को कर दिया जायेगा।

25. यह कि इस निर्माण अनुबन्ध विलेख के द्वारा प्रथमपक्ष द्वारा द्वितीयपक्ष को उपरोक्त वर्णित आराजी पर भौतिक कब्जा प्रदान कर दिया गया है, इसलिए उपरोक्त आराजी के स्टाम्प शुल्क की अदायगी हेतु श्रीमान् जिलाधिकासी, लखनऊ द्वारा उपरोक्त क्षेत्र की दर रुपया 4,500/- प्रतिवर्गमीटर निर्धारित की गयी है जिसके अनुसार प्रथम क्षेत्रफल-1000 वर्गमीटर की मालियत मुबलिंग-45,00,000/- रुपया होती है एवं शेष क्षेत्रफल-5370 वर्गमीटर की मालियत 30 प्रतिशत घटाते हुए मुबलिंग-1,69,15,500/- रुपया होती है इस प्रकार उपरोक्त आराजी का कुल मूल्यांकन 2,14,15,500/- रुपया होता है। जिस पर नियमानुसार 7 प्रतिशत की दर से मुबलिंग-15,01,000/- रुपया का स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है।

उपरोक्त आराजी पर कोई निर्माण नहीं है। उपरोक्त भूखण्ड किसी भी योजना के अन्तर्गत अधिग्रहीत नहीं है। उपरोक्त भूखण्ड मुख्य मार्ग फैजाबाद रोड से 100 मीटर से अधिक की दूरी पर स्थित है। उपरोक्त आराजी कार्नर या दो मार्गों पर स्थित नहीं है।

प्रमाणित
A. B.

[Signature]
S. G.

विक्रेता

Registration No.: 8396

Year: 2013

Book No.:

0101 शिशू पाल सिंह

गथई सिंह

ग्राम धपनामऊ पर0राह0य जिला लखनऊ

व्यापार



0102 अमनन्द पाल सिंह

गथई सिंह

ग्राम धपनामऊ पर0राह0य जिला लखनऊ

रोमाडिबूत



0103 गिरजेश कुमार सिंह

कृष्ण पाल सिंह

ग्राम धपनामऊ पर0राह0य जिला लखनऊ

व्यापार



0104 सर्वेश कुमार सिंह

कृष्ण पाल सिंह

ग्राम धपनामऊ पर0राह0य जिला लखनऊ

व्यापार



भूखण्ड का विवरण

आराजी खसरा संख्या-330 में से अविभाजित
क्षेत्रफल-6370 वर्गमीटर स्थित-ग्राम-अनीरा, परगना,
तहसील व जिला-लखनऊ जिसकी सीमाएं निम्नवत् हैं :-

पूरब	-	रास्ता 20 फिट चौड़ा
पश्चिम	-	आराजी श्री राम सनेही यादव
उत्तर	-	आराजी श्री शिव प्रसाद
दक्षिण	-	आराजी दीगर

जमानत धनराशि प्राप्ति का विवरण

1. मुबलिग-33,00,000/- रुपया बजरिये चेक संख्या-
876852 दिनांक-04/06/2013 आई.सी.आई.सी.आई.
बैंक, लखनऊ
2. मुबलिग-33,00,000/- रुपया बजरिये चेक संख्या-
876853 दिनांक-04/06/2013 आई.सी.आई.सी.आई.
बैंक, लखनऊ
3. मुबलिग-17,00,000/- रुपया बजरिये चेक संख्या-
876854 दिनांक-04/06/2013 आई.सी.आई.सी.आई.
बैंक, लखनऊ
4. मुबलिग-17,00,000/- रुपया बजरिये चेक संख्या-
876855 दिनांक-04/06/2013 आई.सी.आई.सी.आई.
बैंक, लखनऊ

प्रमाणित
[Signature]

[Signature] S. G. [Signature]

केता.

Registration No. : 8396

Year : 2013

Book No. : 1

0201 सरस इन्फ्रा बिल्ड कॉन फ्रॉलि0द्वारा निषे/अधि
हस्ता. शरद मोद पुत्र रवीन्द्र नाथ मोड
466/41सी-3: पीर दुखारा डरनोई रोड चौक लखनऊ
रामगार



अतः यह निर्माण अनुबन्ध विलेख उभयपक्ष ने अपने-अपने दिमाग की सही व दुरुस्त हालत में करार गवाहान स्वस्थचित्त मन से बिना किसी नाजायज जोर दबाव के निष्पादित किया ताकि प्रमाण रहे व आवश्यकता पड़ने पर साक्ष्य के रूप में काम आवे।

शिशुपाल सिंह

A. B. S.

लखनऊ

दिनांक :- 05/06/2013

हस्ताक्षर प्रथमपक्ष

1. गवाह S.K. Mishra
पता High Court Building

Shankar Singh

2. गवाह S.K. Mishra
पता High Court Building

हस्ताक्षर द्वितीयपक्ष

S.K. Mishra
Advocate

मसविदाकर्ता

टाइपकर्ता

D. S. S.

(मो० दानिश)

कलेक्ट्रेट, लखनऊ

आज दिनांक 05/06/2013 को

बही सं 1 जिल्द सं 14031

पृष्ठ सं 137 से 170 पर क्रमांक 8396

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एच0के0 पाण्डेय

उप-निबन्धक (द्वितीय)

लखनऊ

6/6/2013

